न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़,आर.ए.एस.
न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत रा.लो.अ. अटल सेवा केन्द्र मेरमाण्डवाडा

रा.प्रा.पत्र संख्या 55/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
भंवरलाल पुत्र मगाजी जाति तुरी उम्र 40 वर्ष निवासी मेरमाण्डवाडा तहसील व जिला सिरोही		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही

उपस्थित :–
1– प्रार्थी स्वंय
2– अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने

निर्णय दिनांक 8–6–2018

प्रार्थी ने जरिये वकील यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,सिरोही का बाबत राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का इस न्यायालय मे दिनांक 17–5–2018 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि ग्राम मेरमाण्डवाडा तहसील व जिला सिरोही मे खाता नंबर 566 के खसरा नंबर 1791 रकबा 0.1600 किस्म बारानी 2 तथा खसरा नंबर 1798 रकबा 0.2000 किस्म बारानी 2 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3600 हेक्टेयर आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व आराजी मे प्रार्थी खातेदार है जिसमे प्रार्थी का नाम शांता पुत्र मगा दर्ज किया गया है जबकि उक्त शांता पुत्र मगा प्रार्थी है। प्रार्थी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों नेबिना जांच किये एवं किसी अन्य के कहने से प्रार्थी का जो चलन मे नाम था उस अनुसार नामान्तकरण भूलवश दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम भंवरलाल पुत्र मगाजी है जिसके सबूत मे प्रार्थी भंवरलाल का आधार कार्ड,चुनाव पहचान पत्र ,राशनकार्ड,पढाई के दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र,बैंक पास बुक,जॉब कार्ड ईत्यादि संलग्न है। प्रार्थी के स्वर्गीय पिता मगाजी के एक अन्य पुत्र भोणा एवं प्रार्थी भंवरलाल के अलावा कोई पुत्र नही है न ही शांता पुत्र मगाजी के नाम का ग्राम मेरमाण्डवाडा मे कोई अन्य व्यक्ति है। प्रार्थी को राजस्व रेकर्ड मे उसका गलत नाम दर्ज करने की जानकारी प्रथम बार दिनांक 11–7–2017 को हुई जब प्रार्थी ने ऋण लेने हेतु जमाबंदी की आवश्यकता होने से उसने जमाबंदी की प्रतिलिपि प्राप्त की । प्रार्थी ने उक्त गलत नाम शांता पुत्र मगा के स्थान पर भंवरलाल पुत्र मगाजी दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार ,सिरोही को एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार,सिरोही द्वारा धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करने पर ही नाम शुद्व किये जाने का कहने पर यह प्रार्थनापत्र वास्ते राजस्व रेकर्ड मे नाम दुरूस्ती करवाने का कारण प्राप्त हुआ है जिससे यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। उक्त त्रुटि को शुद्व किये जाने मे किसी अन्य के हितो पर या अप्रार्थी के हितो पर कोई प्रभाव नही पड रहा है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधि. 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही का स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे गलत नाम शांता पुत्र मगा के स्थान पर सही वास्तविक नाम भंवरलाल पुत्र मगाजी नाम दर्ज किये जाने के आदेश अप्रार्थी तहसीलदार,सिरोही को दिलाना फरमावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फोर्म नंबर 3 मे वर्णित संलग्न राजस्व रेकर्ड वादग्रस्त कृषि भूमि की मोजा मेरमाण्डवाडा की जमाबंदी संवत 2070–2073 खाता नंबर 566,जमाबंदी संवत 2066 –2069 खाता नंबर 387,रिलीजडीड

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

Continue Page NO-2

दिनांक 2–8–2011,नामान्तकरण संख्या 334,299,आधारकार्ड चुनाव परिचय पत्र,राशनकार्ड,मा.शि.बोर्ड का प्रमाण पत्र,मूल निवास प्रमाण पत्र,जाति प्रमाण पत्र,जॉब कार्ड,बैंक पास बुक,ईत्यादि का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया तो न्यायालय उक्त प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 17–5–2018 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को वास्ते जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

आज दिनांक 8–6–2018 को विचारण प्रकरण की यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र मेरमाण्डवाडा मे मेरे समक्ष पेश हुई । प्रार्थी को जारी नोटिस तामिल अदम तामिल प्राप्त नही हुये । सुनवाई के दौरान प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा बहस करने से बहस सुनी गई । प्रार्थी ने बहस करते वक्त शपथपत्र रू 50/– नोटरी पब्लिक से तस्दीक शुदा पेश कर शपथपत्र मे कथन किया कि मेरा नाम भंवरलाल पुत्र मगाजी है जिसके सबूत मे मेरे बने हुये है। राजस्व रेकर्ड मे मेरा नाम शांता पुत्र मगा लिख दिया गया है। मैने शांता पुत्र मगा के नाम से कोई लोन ईत्यादि नही लिया है और अगर लिया हुआ पाया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी रहेगी । शांता पुत्र मगाजी एवं भंवरलाल पुत्र मगाजी मै,एक ही व्यक्ति हूँ । इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति मेरमाण्डवाडा मे नही है। तहसीलदार,सिरोही ने भी बहस के दौरान जवाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आवेदक का ग्राम मेरमाण्डवाडा मे मगा के फौत के स्थान पर उत्तराधिकारी नामान्तकरण संख्या 334 दिनांक 28–2–74 के अनुसार भोणा शांता पुत्र मगा दर्ज किया गया है जबकि एक अन्य नामान्तकरण संख्या 499 मे मगा फौत के स्थान पर भाणा भमरिया पि.मगा दर्ज किया गया है। इसका वास्तविक नाम भंवरलाल पुत्र मगा तरी ही है। ग्राम मे उपनाम से पुकारने के कारण नामान्तकरण मे शांता नाम दर्ज कर दिया गया है। अतः आवेदक का नाम मेरमाण्डवाडा के खसरा नंबर 1791 व 1798 मे नाम शांता के स्थान पर भंवरलाल पुत्र मगा तुरी ददर्ज किया जाना उचित है। आवेदक के नाम बने आधार कार्ड,मतदाता पहचान पत्र व राशनकार्ड मे भी नाम भंवरलाल पुत्र मगा दर्ज है। अतः उक्त खसरा नंबर 1791 व 1798 की आराजी के राजस्व रेकर्ड मे शांता पुत्र मगा के स्थान पर भंवरलाल पुत्र मगा जाति तुरी दर्ज किया जाना उचित है।

हमने विचारण प्रकरण की पत्रावली के संलग्न प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फोर्म नंबर 3 मे वर्णित संलग्न राजस्व रेकर्ड वादग्रस्त कृषि भूमि की मोजा मेरमाण्डवाडा की जमाबंदी संवत 2070–2073 खाता नंबर 566,जमाबंदी संवत 2066 –2069 खाता नंबर 387,रिलीजडीड दिनांक 2–8–2011,नामान्तकरण संख्या 334,299,आधारकार्ड चुनाव परिचय पत्र,राशनकार्ड,मा.शि.बोर्ड का प्रमाण पत्र,मूल निवास ग्रमाण पत्र,जाति प्रमाण पत्र,जॉब कार्ड,बैंक पास बुक,अप्रार्थी तहसीलदार,सिरोही का जवाब व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया तथा प्रार्थी व अप्रार्थी तहसीलदार,सिरोही की बहस पर भी मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त उपरोक्त दस्तावेजात प्रतियों व तहसीलदार,सिरोही के जबाव के आधार स्वीकृत तथ्यात्मक स्थिति यह है कि आवेदक का ग्राम मेरमाण्डवाडा मे मगा के फौत के स्थान पर उत्तराधिकारी नामान्तकरण संख्या 334 दिनांक 28–2–74 के अनुसार भोणा शांता पुत्र मगा दर्ज किया गया है जबकि एक अन्य नामान्तकरण संख्या 499 मे मगा फौत के स्थान पर भाणा भमरिया पि.मगा दर्ज किया गया है। इसका वास्तविक नाम भंवरलाल पुत्र मगा तरी ही है। ग्राम मे उपनाम से पुकारने के कारण नामान्तकरण मे शांता नाम दर्ज कर दिया गया है। अतः आवेदक का नाम मेरमाण्डवाडा के खसरा नंबर 1791 व 1798 मे नाम शांता के स्थान पर भंवरलाल पुत्र मगा तुरी दर्ज किया जाना उचित है। प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड मे गलत नाम शांता पुत्र मगा राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की बिना जांच किये उनकी लापरवाही के कारण राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुआ है इसमे प्रार्थी की कोई गलती नही है। उक्त राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी के नाम की त्रुटि हुई है उक्त त्रुटि लिपिकिय त्रुटि की तारीफ मे आने से दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अन्य प्रार्थी को मानसिक तनाव व आर्थिक नुकसान के साथ साथ

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

Continue Page No 3

सरकारी कार्य व योजनाओं का लाभ लेंने से वंचित रह जायेगा । अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का विचारण प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी तहसीलदार,सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार,सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि मौजा मेरमाण्डवाडा पटवार हल्का मेरमाण्डवाडा तहसील व जिला सिरोही मे स्थित प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 1791 व 1798 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3600 हेक्टेयर की वर्तमान जमाबंदी मे दर्ज प्रार्थी के गलत नाम शांता पुत्र मगा के स्थान पर सही वास्तविक नाम भंवरलाल पुत्र मगाजी दर्ज कर जमाबंदी अपडेट की प्रति एक सप्ताह मे इस न्यायालय को भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें । निर्णय राजस्व लोक अदालत/केम्पकोर्ट अटल सेवा केन्द्र मेरमाण्डवाडा मे मजमे आम मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

8/6/18

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 8–6–2018 को मेरे हस्ताक्षर,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

8/6/18

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

न्यायालय लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर सिरोही (राज०)